

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No.
Name and address of the Complainant.....
Complaint or report made on

Name, parentage, caste and address of accused
ॐ जगन्नाथ सिंह ६० रामगिराम निवा जयपुर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक २२-५-१७ मुकाद
कदमन का डरा पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के आपने
आधिपत्य में ३० लीटर/पाव/बोतल खड़ी शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० १९१५ की धारा ३४-१ (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। यूना दण्ड से दण्डित कर का निवेदन है।

जनकाश्री

हस्ता. शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

// निर्णय //

(आज दिनांक 22-8-17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। उक्त अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 1500/- शब्दों में सठ्ठस हजार पाँच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति 30 रुपये / पाव/बोरल रुपये शराब

मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार

पकज शर्मा

जहाँ में मानद अपील न्यायालय के आदेश का

22/08/17

22/08/17

पकज शर्मा

पकज शर्मा

प्राथमिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी

प्राथमिक मजिस्ट्रेट प्रथम-श्रेणी

मोहद, जिला-मिर्जापुर (ग.प्र.)

मोहद, जिला-मिर्जापुर (ग.प्र.)